न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –23/2024

अनवान

1. निर्मला पत्नि जी.सी. जाति महाजन आयु बालिग निवासी रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
2. बद्रीलाल छाबडा पुत्र लालचन्द छाबडा जाति पंजाबी आयु बालिग निवासी 281 बैंक कालोनी रतलाम म0प्र0।
3. शारदा वधवा पत्नि अशोक वधवा जाति पंजाबी आयु बालिग पेशा काश्त निवासी भारत इलैक्ट्रोनिक्स के पास नया बाजार रावतभाटा तहसील रावतभाटा

वादीगण.........

बनाम

1. सागर मलिक पुत्र श्री मनोज मलिक जाति पंजाबी आयु बालिग पेशा कृषि व व्यापार निवासी 258 नया बाजार रावतभाटा तहसील रावतभाटा।
2. अनिता कंवर पत्नि कुशपालसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा राज0
3. सुगन कंवर पत्नि मोहन सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी 358 कुम्हार मौहल्ला खिलचीपुरा मंदसौर जिला मंदसौर म0प्र0।
4. भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 13.08.2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के शामलाती खातेदारी की जमीन मौजा झरझनी प0ह0 झरझनी तहसील रावतभाटा की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 204 में स्थित आराजी संख्या 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1471 रकबा क्रमशः 0.76, 1.10, 1.26, 1.29, 1.07, 1.24 कुल रकबा 6.72है0 भूमि पर आराजी राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के हिस्सेदारी अधिकार से दर्ज रिकार्ड है अर्थात अनिता कंवर हिस्सा 37/144, निर्मला हिस्सा 1/16, बद्रीलाल छाबडा हिस्सा 1/16, शारदा वधवा हिस्सा 1/18, सुगन कंवर हिससा 1/4 व सागर मलिक हिस्सा 5/16 हिस्सा से दर्ज रिकार्ड है। जिसका मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्यास 01 से 03 द्वारा मौखिक बंटवारा कर सभी अपने अपने हिस्से अनुरूप काबिज होकर काश्त कर रहे है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नही होकर तरमीम नहीं है तथा प्रति[illegible] 01 [illegible] कुआं भी है उसके द्वारा निर्मित किया गया है जिसमें हम वादीगणों का [illegible] है, हम वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को राजस्व रि[illegible] लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा टालम [illegible] इसलिए यह वाद [illegible] किया है। उक्त आराजीयात का हक हिस्से अनुसार [illegible]गण व प्रतिवादीगण सं[illegible] से 03 जो जहां काबिज है तथा सभी के राजस्व रिका[illegible] दर्ज हिस्से अनुरूप बं[illegible]किये जाने की घोषणा कर तदनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अन्त में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हक कब्जा अनुसार विभाजन कराने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता पराग त्रिपाठी द्वारा उपस्थिति दी जाकर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों का सभी सहखातेदारान ने मौखिक रूप से बंटवारा कर सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा मुझ प्रतिवादी सागर मलिक द्वारा अपने हिस्से में एक निजी कुंआ खुदवा रखा है जिसमें किसी अन्य सहखातेदार का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा जो जहां काबिज है उसी अनुरूप बंटवारा किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का हिस्सा क्रमशः 37/144 व 1/4 दर्ज रिकार्ड है जो श्रीमान उपपंजीयक महोदय भैंसरोडगढ से विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2019 व 01.08.2022 से पंजीयन कराया है तथा उसी अनुरूप काबिज है मेरे क्रय शुदा जमीन अनुसार बंटवारा किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाले जवाब तथा प्राथमिक डिक्री पर पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झरझनी प0ह0 झरझनी के आराजी संख्या 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1471 रकबा क्रमशः 0.76, 1.10, 1.26, 1.29, 1.07, 1.24 कुल रकबा 6.72है0 में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य हक हिस्से अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है –

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
1.	श्रीमती अनिता कंवर पत्नि कुशपाल सिंह राजपुत निवासी पानाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा खातेदार हिस्सा 37/144	1464/1 1465/1 1466/1 1471/1	0.15 0.24 0.90 0.43	माल–2 माल–2 माल–2 माल–2	0.60 0.96 3.60 1.72	
		किता –4	1.72		6.88	
2.	निर्मला पत्नि जी.सी. महाजन निवासी रावतभाटा खातेदार हिस्सा 1/16	1471/2	0.42	माल–2	1.68	
		किता –1	0.42		1.68	
3.	बद्रीलाल छाबडा पुत्र लालचन्द छाबडा जाति पंजाबी निवासी 28/1 बैंक कॉलोनी रतलाम (म0प्र) खातेदार हिस्सा 1/16	1462/1 1471/3	0.18 0.24	माल–2 माल–2	0.72 0.96	
		किता –02	[illegible]		1.68	
4.	शारदा वधवा पत्नि अशोक वधवा जाति पंजाबी निवासी रावतभाटा खातेदार हिस्सा 1/18	1462/2 1464/4 1471/4	.18 0.05 0.15	माल–2 माल–2 माल–2	0.72 0.20 0.60	

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

		किता–03	0.38		1.52	
5.	सुगन कंवर पत्नि मोहन सिंह जाति राजपुत निवासी 358 कुम्हार मोहल्ला खिलचीपुरा मंदसौर (म0प्र0) खातेदार हिस्सा 1/4	1462/3 1463/1 1464/2 1465/2 1466/2	0.39 0.10 0.62 0.40 0.17	माल–2 माल–2 माल–2 माल–2 माल–2	1.56 0.40 2.48 1.60 0.68	
		किता–05	1.68		6.72	
6.	सागर मलिक पुत्र मनोज मलिक जाति पंजाबी सा. 258 नया बाजार रावतभाटा खातेदार हिस्सा 5/16	1462/4 1463/2 1464/3 1465/3	0.01 1.00 0.44 0.65	माल–2 माल–2 माल–2 माल–2	0.04 4.00 1.76 2.60	
		किता–4	2.10		8.40	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner